भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3598

दिनांक 13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मृत्यु प्रमाणन की स्थिति

†3598. श्री जय प्रकाश:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि देश में होने वाली मृत्यु में से केवल 22.5 प्रतिशत ही चिकित्सीय रूप से प्रमाणित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मृत्यु के चिकित्सीय प्रमाणन में कमी के निहितार्थों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का भविष्य में देश में होने वाली प्रत्येक मृत्यु का चिकित्सीय प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ) भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालयों (सीआरबीडी) से प्राप्त मृत्यु के चिकित्सीय रूप से प्रमाणित कारणों के आंकड़ों के आधार पर "मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन पर रिपोर्ट" शीर्षक से एक वार्षिक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो संशोधित अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (आईसीडी) 10 पर आधारित मृत्यु के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार होती है। मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन पर रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, कुल पंजीकृत मृत्युओं के प्रतिशत के रूप में चिकित्सीय रूप से प्रमाणित मृत्यु 22.0 प्रतिशत है।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम 1969 (2023 में यथा संशोधित) मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणन से संबंधित कानूनी प्रावधानों को सुदृढ़ करता है। अधिनियम की धारा 10(2) और 10(3)

के तहत कानूनी प्रावधानों के अनुसार, स्वामित्व की परवाह किए बिना, प्रत्येक चिकित्सा संस्थान को संस्थान में होने वाली मृत्यु के लिए मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र नि:शुल्क जारी करना अनिवार्य है, जिस पर मृतक की हाल की बीमारी के दौरान देखभाल करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि मृत्यु किसी चिकित्सा संस्थान के बाहर होती है, लेकिन मृतक की हाल की बीमारी के दौरान किसी चिकित्सक द्वारा देखभाल की गई थी, तो चिकित्सक को सूचना देने वाले को मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र नि:शुल्क जारी करना अनिवार्य है।
